संख्या-3-ई.एम./2005-का-4-2006

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 07 दिसम्बर, 2006

विषयः-कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में यह अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या-2-ई.एम./2001-का-4-2006, दिनांक 22 जून, 2006 के द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों पर बैठकें आहूत नहीं की जा रहीं हैं।

2. मुख्य सचिव द्वारा उक्त स्थिति पर गम्भीर असंतोष व्यक्त करते हुए, निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

(1) समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, अपने नियंत्रणाधीन संगठनों की मांगों पर एक सप्ताह के अन्दर बैठकें आहूत कर लें तथा उक्त बैठकों के कार्यवृत्त दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 तक मुख्य सचिव को उपलब्ध करा दें।

(2) कर्मचारी संगठनों के साथ किये गये विचार-विमर्श एवं उनकी मांगों के निस्तारण के संबंध में किये गये प्रयासों को प्रमुख सचिवों/ सचिवों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से मुख्य सचिव को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

उमेश सिन्हा
सचिव।

संख्या-3-ई.एम./2005(1)-का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव के सूचनार्थ उनके प्रमुख स्टाफ आफिसर को प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।